प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 07.09.2023

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा थाना शिवली क्षेत्रान्तर्गत पति द्वारा पत्नी का अपहरण कर हत्या करने की घटना का मात्र 36 घण्टे के अन्दर किया गया सफल अनावरण।**
- **थाना शिवली पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध में त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या की घटना कारित करने वाले 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी कमलेश पाल पुत्र झुरईपाल निवासी ग्राम गहलौ थाना रुरा कानपुर देहात द्वारा दिनांक 06.09.2023 को दी गयी लिखित तहरीर जिसमें वादी की पुत्री का हत्या के लिये अपहरण करने के आधार पर मु0अ0सं0 315/23 धारा 364/120 बी भादवि0 पंजीकृत किया गया था। अपहर्ता का शव केसरी पुल से नहर पट्टी मैथा की ओर लगभग 2.5 किमी पर दिनांक 06.09.2023 को बरामद होने के उपरांत मुकदमा उपरोक्त में धारा 302/201 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी। शिवली पुलिस द्वारा उक्त घटना का मात्र 36 घंटे में सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1. रमनपाल पुत्र कामता प्रसाद निवासी ग्राम पनौकपुरवा थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर (मृतका का पति) 2. रनजीत उर्फ गुल्लू पुत्र कमलेश निवासी ग्राम पछोखरा थाना रामपुरा जनपद जालौन 3. अखिल पाल पुत्र रामकुमार पाल निवासी ग्राम हातागंभीरपुर थाना सचेण्डी कानपुर नगर को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 07.09.2023 को रामपुर तिराहा थाना क्षेत्र शिवली से गिरफ्तार किया गया तथा प्रकाश में आये अभियुक्त सौरभ गौतम पुत्र रतीराम निवासी पनऊपुरवा थाना चौबेपुर कानपुर नगर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- रमनपाल उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब मेरी पत्नी मुझे परेशान करती थी तथा जिसकी हरकतों से मैने तंग आकर अपने साथियों रनजीत उर्फ गुल्लू पुत्र कमलेश निवासी ग्राम पछोखरा थाना रामपुर जिला जालौन , अखिल पाल पुत्र राजकुमार पाल निवासी हाता गंभीरपुर थाना सचेण्डी कानपुर नगर व सौरभ गौतम पुत्र रतीराम निवासी पनऊपुरवा थाना चौबेपुर कानपुर देहात के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर शव को केशरी निवादा नहर के पास झाडियों में फेंक दिया था।

रनजीत उर्फ गुल्लू व अखिल पाल जिले से बाहर जाने की फिराक में थे जिन्हे पुलिस द्वारा पकड लिया गया।

अभियुक्त सौरभ गौतम के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि साहब वह मेरी पत्नी सरिता की हत्या करने के बाद हम लोगों से अलग चला गया था, वह कहाँ गया है हम लोगों को नहीं मालूम है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. रमनपाल पुत्र कामता प्रसाद निवासी ग्राम पनौकपुरवा थाना चौबेपुर कानपुर नगर
2. रनजीत उर्फ गुल्लू पुत्र कमलेश निवासी ग्राम पछोखरा थाना रामपुरा जालौन
3. अखिल पाल पुत्र रामकुमार पाल निवासी ग्राम हातागंभीरपुर थाना सचेण्डी कानपुर नगर
4. फरार अभियुक्त सौरभ गौतम पुत्र रतीराम निवासी ग्राम पनऊपुरवा थाना चौबेपुर कानपुर नगर

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-315/23 धारा 364/302/201/120 बी भादवि0 थाना शिवली कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री शिव नरायन सिंह
2. उ0नि0 श्री मो0 हासिक
3. हे0का0 520 दिलीप कुमार
4. का0 832 प्रवीन कुमार
5. का0 951 अंकित तोमर